THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM) : (a) In their report, the Fourth Pay Commission recommended introduction of an element of direct recruitment at the level of Inspectors/Assistant Superintendents. They also stated that if this is done and the two cadres are merged, Government may examine what scale of pay will then be suitable for these posts.

(b) There was no specific recommendation or merger of the cadre of Inspectors and Assistant Superintendents as stated in (a) above. However, direct recruitment has not yet been introduced.

(c) No, Sir.

(d) The judgement directed the issue of a speaking order by the Department which has since been done.

(e) Does not arise.

**प्रधान डाकघर, गंज बसोडा के विरुद्ध शिकायतें**

3724. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंज बसोडा (मध्य प्रदेश) के प्रधान डाकघर में पार्सलों में रखी गई वस्तुओं को बदलने और खुले पार्सलों को पहुंचाने के बारे में गत तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता, स्थानीय जौहरियों/संसद सदस्यों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा इनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इसके लिए जिम्मेदार पाये गए व्यक्तियों और डाकपालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** :

(क) गंज बसौडा उप डाकघर से बीमा पार्सल संख्या 776 दिनांक 13-5-91, 782 दिनांक 6-6-91, 783 दिनांक 10-6-91 तथा 689 दिनांक 24-1-89 के प्रेषक ने श्री राघव जी, संसद सदस्य (राज्य सभा) से इन पार्सलों के भीतर रखी वस्तुओं के बदले जाने की शिकायत की थी । इनमें प्रत्येक पार्सल का 10,000/ रु० का बीमा था । सांसद महोदय ने अपने दिनांक 6-9-91 के पत्र में यह मामला तत्कालीन संचार राज्य मंत्री के साथ उठाया था । इन शिकायतों का ब्यौरा, जैसा कि प्रेषक मैसर्स रतनचंद बिमल चन्द ओसवाल द्वारा दिया गया है, निम्नानुसार है, :—

(i) बीमा पार्सल सं० 776 दिनांक 13-5-91 : इस पार्सल को प्राप्त करने के बाद प्राप्तकर्ता ने पाया कि पार्सल के भीतर शीसा था ।

(ii) बीमा पार्सल सं० 782 दिनांक 6-6-91 : इस पार्सल को प्राप्त करने पर, डाकघर स्टाफ के समक्ष इसे खोलने पर, प्राप्तकर्ता ने इसमें चांदी के स्थान पर शीसा पाया ।

(iii) बीमा पार्सल सं० 783 दिनांक 10-6-91 : प्राप्तकर्ता ने पार्सल लेने से मना कर दिया, जो प्रेषक को वितरित करने के लिए वापस प्राप्त हुआ । प्रेषक ने पार्सल की ओपन डिलीवरी ली और पार्सल में चांदी की जगह शीसा पाया ।

(iv) बीमा पार्सल सं० 589 दिनांक 24-1-89 : पार्सल खो गया था । दावा खारिज कर दिया गया था ।

(ख) जाँच करने पर यह पता चला कि बीमा पार्सल सं० 776 और 782 सही दशा में प्राप्त हुए थे और उन्हें अहमदाबाद में प्राप्तकर्ता से पक्की रसीद लेकर वितरित कर दिया गया था । जहाँ तक बीमा पार्सल सं० 783 का संबंध है, प्राप्तकर्ता द्वारा इसे लेने से मना किए जाने पर इसे प्रेषक को वापस कर दिया गया जिसकी प्रेषक के अनुरोध पर ओपन डिलीवरी की गई थी । विभागीय नियमों के अधीन दावे मानने योग्य नहीं पाए गए । जाँच के दौरान, कोई भी विभागीय कर्मचारी शामिल नहीं पाया गया था । बीमा पार्सल सं० 689 के मामले में, थैला खो देने के लिए जिम्मेवार पाए गए कर्मचारी को 30 माह की अवधि के लिए उसकी वेतनवृद्धि रोकने का दंड दिया गया ।

**Post Office facilities in the villages in Gujarat**

3725. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of villages in Gujarat without post office by the end of 1993-94;

(b) the district-wise number of villages in the state having post office category-wise;

(c) the district-wise number of villages without post office at present; and

(d) the district-wise and category-wise number of post offices proposed to be opened during the current financial year ?